भाकृअनुप-केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान
क्षेत्रीय केंद्र-मोदीपुरम- 250 110, मेरठ (उ.प्र.)
ICAR-Central Potato Research Institute
Regional Station, Modipuram-250110, Meerut (UP)

पत्रांक: 5-56/2020-21/म./ दिनांक: 19 नवम्बर, 2020

सेवा में,
[redacted]

विषयः दीर्घ आयु के 233 वृक्षों की नीलामी करने के संबंध में।

महोदय,

इस संस्थान के मछरी, सी ब्लॉक व मोदीपुरम प्रक्षेत्रों पर निम्नलिखित विभिन्न प्रजाति (यूकेलिप्टस, पोपलर, नीम शीशम व देशी आम आदि) के 233 दीर्घ आयु के वृक्ष बिक्री हेतु उपलब्ध है। इच्छुक फर्म/व्यक्ति वृक्षों को खरीदने के लिए अपने अधिकतम निविदा रेट लिफाफे मे इस कार्यालय को दिनांक 16.12.2020 दोपहर 12:30 बजे तक जमा करें। निविदाएं उसी दिन दिनांक 16.12.2020 दोपहर 03:00 बजे समिति सदस्यों द्वारा खोली जाएगी। यदि उक्त तिथि में कोई अवकाश पड़ता है तो निविदाएं अगले कार्य दिवस में उपरोक्त समयानुसार ही स्वीकार एवं खोली जायेगी।

क्र.स.	दीर्घ आयु वृक्षों का विवरण	संख्या
1	खड़े वृक्षों की सं0	221
2	गिरे वृक्षों की सं0	12

नीलामी हेतु नियम एवं शर्तें:-

1. प्रत्येक क्रेता को ₹50,000/- (रुपये पचास हज़ार मात्र) की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/NEFT/RTGS/UPI या अन्य ऑनलाईन बैकिंग की मूल प्रति कुटेशन के साथ सलंग्न करना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफ्ट वरिष्ठ वैज्ञानिक, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान केन्द्र, मोदीपुरम के नाम भारतीय स्टेट बैंक, पल्हैड़ा (कोड़ सं. 3067) पर देय होना चाहिये। NEFT/RTGS/UPI या अन्य ऑनलाईन बैंकिग माध्यम से जमा कराने हेतु विवरण निम्नवत हैः बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा- पल्हैड़ा (3067), खाता सं.- 10172900089 , आई.एफ.एस.सी. न.- SBIN0003067
2. पातन आदेश प्राप्त करने के पश्चात् सम्पूर्ण पेड़ों का भुगतान कैशलेस माध्यम से जैसे- बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन ट्रांसफर के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा।
3. वन विभाग, मेरठ द्वारा जिन वृक्षों के पातन की अनुमति दी गई है केवल उन मूल्यांकित वृक्षों का ही पातन करने दिया जायेगा।
4. वृक्षों का मौका मुआयना / निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस के समय किया जा सकता है।
5. उ0प्र0 वन विभाग द्वारा निर्धारित लकड़ी ढुलाई का अभिवहन शुल्क अथवा चुंगी टैक्स अदा करने की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।
6. परिसर या प्रक्षेत्र पर पेड़ों का पातन करने के पश्चात क्रेता को कार्य दिवसों में ही माल ले जाने की अनुमति होगी जिसको वह स्वयं आपने वाहन से ले जायेगा।

7. परिसर या प्रक्षेत्र पर बिजली के तार, पानी के पाईप एवं ईमारत की क्षति होने की दशा में क्षतिपूर्ति क्रेता द्वारा ही वहन की जायेगी।
8. नीलामी प्रक्रिया के पश्चात क्रेता की दरे स्वीकार करने एवं उन्हें दिये गए आदेश पश्चात पेड़ों का पूर्ण पैसा जमा करने के पश्चात ही पेड़ो के पातन की अनुमति होगी।
9. जिस व्यक्ति के पेड़ों के रेट्स अधिकतम होगें उसको पूरा भुगतान कार्यालय आदेश प्राप्त करने के पश्चात् तुरन्त कार्यालय में जमा कराना होगा।
10. यदि टेन्डर स्वीकृत होने पर क्रेता एक माह के अन्दर पेड़ों का पातन नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और इस विषय पर कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा।
11. निविदा लिफाफे पर "दीर्घायु पेडों की नीलामी से संबंधित" अंकित करना होगा इसके अतिरिक्त अपना/फर्म का नाम, पता, फोन न0 इत्यादि भी लिखना होगा।
12. निविदा भरने को रिक्त फार्म कार्यालय के भंडार अनुभाग से प्राप्त किया जा सकता है।
13. कटिंग एवं ओवर राइटिंग की स्थिति में हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
14. आयकर नियमों के अनुसार यदि कोई कर देय होगा तो वह भी नियमानुसार काटा जायेगा।
15. किसी एक या सभी कुटेशनों को बिना कारण बताये संयुक्त निदेशक महोदय को रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
16. किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति संज्ञान में आने पर उक्त नीलामी प्रक्रिया को निरस्त अथवा स्थगित करने का अंतिम निर्णय निदेशक महोदय, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला, (हि. प्र.) का होगा जिसे मानने के लिए सभी बाध्य होगें।

प्रशासनिक अधिकारी

वित्तीय विवरण प्रोफार्मा

Financial Bid

क्र. स.	फलत का नाम	पेड़ों की संख्या	एक मुश्त धनराशि के रूप में रेट्स दें।
1	खड़े वृक्ष	221 पेड़	अंको मे रु. ____________ शब्दों में ____________
2	गिरे वृक्ष (लट्ठे)	12 पेड़	अंको मे रु. ____________ शब्दों में ____________

ठेकेदार के हस्ताक्षर : .... ठेकेदार का नाम : ....

पता : .... मोबाइल न. : ....